संख्या–225 /XIII-4/24/07(01)/2020 E-26418

प्रेषक,

आनन्द स्वरूप
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
चौबटिया–रानीखेत।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 26 अप्रैल, 2024

विषयः–"राज्य में चाय विकास योजना" के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक चाय विकास बोर्ड के पत्र संख्याः 33/3–लेखा/बजट 2024–25/2024 दिनांक 16 अप्रैल 2024 एवं पत्र संख्या 34/3–लेखा/बजट 2024–25/2024 दिनांक 16 अप्रैल 2024 दिनांक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक–22 मार्च 2024 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय विकास बोर्ड हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 की योजना "0602–राज्य में चाय विकास योजना" में कुल प्राविधानित रूपये 1873.25(रूपये अठ्ठारह करोड़ तिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

3– व्यय करते समय वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक–22 मार्च 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017"(यथासंशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जायेगा और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

7– उक्त मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह

सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्य योजना बना ली जायेगी और तदनुसार मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

8– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक चाय विकास बोर्ड को उनकी मांग के आधार पर यथा प्रक्रिया उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 0602–राज्य में चाय विकास योजना की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश–201358/09 (150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक–22 मार्च 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Anand Swaroop
Date: 24-04-2024 19:11:06
(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

संख्या–225(1)/XIII-4/24/07(01)/2020,E-26418 तददिनांक ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
4. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी रानीखेत / अल्मोड़ा।
6. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Priti Tiwari
Date: 25-04-2024 12:34:37
(प्रीति तिवारी)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Sericulture(S044)

HOD-Director Horticulture(2108)

आवंटन पत्र संख्या -26418
अनुदान संख्या -029

आवंटन आई डी-S24040290007
आवंटन पत्र दिनांक-26-APR-2024

लेखा शीर्षक
2401-फसल कृषि कर्म
119-वनस्पति या फसलें
02-राज्य में चाय विकास योजना

00--
06-चाय विकास योजना

Voted

2	4	0	1	0	0	1	1	9	0	6	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	0	33600000	0	33600000
08-पारिश्रमिक	0	3725000	0	3725000
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	150000000	0	150000000
योग	0	187325000	0	187325000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.18,73,25,000 (Rupees Eighteen Crores Seventy Three Lacs Twenty Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

AFW4/80/2022-XIII-4-Agriculture and Farmers Welfare Department

संख्या–570/XIII-4/24/7(05)/2020,E-37786

प्रेषक,

आनन्द स्वरूप,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभागः–4 देहरादूनः दिनांकः 01 सितम्बर, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, चाय विकास बोर्ड के पत्र संख्या 411/3–लेखा/बजट/2024–25 दिनांकः 13 सितम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय विकास बोर्ड हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या–30 की योजना "0203–चाय विकास परियोजना" में प्राविधातिन रूपये 375 लाख (रूपये तीन करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि का व्यय उसी निमित किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यह स्वीकृति शासनादेश संख्या–379/XIII–4/24/7(05)/2020, E-37786 दिनांकः 01 जुलाई 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी की जा रही है।

3 – इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–30(एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0203–चाय विकास परियोजना की मानक मद 56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक–22 मार्च 2024 एवं शसानादेश संख्या 238662/2024 दिनांक 10 सितम्बर 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

Signed by
Anand Swaroop
Date: 27-09-2024 18:28:09 (आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

संख्या–570(1)/XIII-4/24/ 07 (05)/2020, E-37786 तददिनांक ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून
2–जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
3–निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/रानीखेत, उत्तराखण्ड।

5–बजट राजकोषी
य नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
6–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7–वित्त अनुभाग–4, /नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Bikram Singh
Date: 01-10-2024 11:10:19

(विक्रम सिंह चौहान)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Sericulture(S044)
HOD-Director Horticulture(2108)

आवंटन पत्र संख्या -37786
अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S24100300003
आवंटन पत्र दिनांक-01-OCT-2024

लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म
119-वनस्पति या फसलें
03-चाय विकास परियोजना

00--
02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

Voted

2	4	0	1	0	0	1	1	9	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	2600000	37500000	0	40100000
योग	2600000	37500000	0	40100000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,75,00,000 (Rupees Three Crores Seventy Five Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Print

© Copyrights 2023 Design by Directorate of Treasuries,Pension & Entitlements

LinkButton